



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-2, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अध्यादेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 01 मई, 2025 ई0

बैशाख 11, 1947 शक संवत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 183/XXXVI (3)/2025/24(1)/2025

देहरादून, 01 मई, 2025

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन मा0 राज्यपाल ने ‘उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम, 1939) (संशोधन) अध्यादेश, 2025’ प्रख्यापित किया है और वह उत्तराखण्ड राज्य का अध्यादेश संख्या: 01, वर्ष-2025 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा कक्ष
उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम, 1939) (संशोधन)
अध्यादेश, 2025

(उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या 01, वर्ष 2025)

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम, 1939 में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

अध्यादेश

चूंकि, उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम, 1939) (संशोधन) अध्यादेश, 2025 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
धारा 5 का संशोधन	2.	उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम, 1939 की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) में "एक उपाध्यक्ष" शब्दों के स्थान पर "दो उपाध्यक्ष" शब्द रख दिये जायेंगे।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

ले.ज. गुरमीत सिंह,

पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम,

वीएसएम (से.नि.)

राज्यपाल उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

धनंजय चतुर्वेदी,

प्रमुख सचिव।

No. 183/XXXVI(3)/2025/24(1)/2025

Dated Dehradun, May 01, 2025

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand (Uttar Pradesh Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temples Act, 1939) (Amendment) Ordinance, 2025 (Uttarakhand Ordinance No.01 of 2025).

As promulgated by the Governor on 30th April, 2025.

**The Uttarakhand (Uttar Pradesh Shri Badrinath and Shri Kedarnath
Temples Act, 1939) (Amendment) Ordinance, 2025
[Uttarakhand Ordinance No. 01 Year, 2025]**

**Promulgated by the Governor in the Seventy-sixth year of the Republic
of India;**

**An
Ordinance**

further to amend the Uttar Pradesh Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temples Act, 1939 in the context of Uttarakhand State,

WHEREAS, the Uttarakhand State Legislative Assembly is not in session and the Governor is satisfied that such circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to Promulgate the following Ordinance: -

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

Short title and commencement.	1.	(1) This Ordinance may be called the Uttarakhand (Uttar Pradesh Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temples Act, 1939) (Amendment) Ordinance, 2025. (2) It shall come into force at once.
Amendment in Section 5	2.	In clause (g) of sub section (1) of section 5 of the Uttar Pradesh Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temples Act, 1939 for the words "a Vice Chairman" the words "two Vice Chairman" shall be substituted.

LT. GEN. GURMIT SINGH,
PVSM, UYSM, AVSM, VSM (Retd.),
GOVERNOR, UTTARAKHAND.

By Order,

DHANANJAY CHATURVEDI,
Principal Secretary.

प्रमाणित प्रति

रवेक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड